

आय का घोषणा पत्र

(पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)

छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए

प्रारूप भाग-I

1. निवास स्थान का पूर्ण पता:-

2. प्रार्थी (विद्यार्थी के पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक) का नाम.....

पिता/पति का नाम श्री..... आयु..... वर्ष..... माह.....

तह..... जिला..... पिनकोड़.....

3. स्वयं / स्वयं की एवं पति की समस्त स्त्रीतोंसे सम्बिलित वार्षिक आय का विवरण:-

| | |
|--|--|
| (1) कृषि भूमि(.....) आदि से आय: रु. | (2) बृत्ति, सेवा लाप, अनुदान, निकाय आदि से आय: रु. |
| (3) वेतन, पेंशन, भत्ता, मानदेय, नियोजन, मजदूरी आदि से आय: रु. | (4) भौतीनरी, किराये, दुकानदाद, कारोबार, व्यवसाय या व्याज, लाभांश से आय: रु. |
| (5) अन्य स्त्रीतों से आय: रु. | कुल वार्षिक आय: रु. |

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक..... प्रार्थी का नाम व हस्ताक्षर

प्रारूप भाग-II

(दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साथ ग्रामाण्य-पत्र)

हम शपथ पूर्वक बयान करते हैं कि प्रार्थी/प्रार्थियों..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी..... को भली प्रकार से जानते हैं। इनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गई घोषणा के हम साक्षी हैं। हमारी जानकारी में उक्त वर्धित आय के अलावा प्रार्थी/प्रार्थियों के पास आय का कोई अन्य स्त्रीत नहीं है।

(1) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति

नाम.....

(पद नाम व मय दिनांक)

(2) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति

नाम.....

(पद नाम व मय दिनांक)

नोट :- (उत्तरदायी व्यक्ति यथा—संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/उप महापौर/नगर निगम/नगर पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड पार्षद/वार्ड में्डर/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से ग्रामीणीकरण करवाए।)

प्रारूप भाग-III (शपथ -पत्र)

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... शपथपूर्वक उद्घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा/मेरी एवं मेरे पति/पत्नी की(जो भी लागू) समर्त स्त्रीतों से कुल वार्षिक आय रु. अक्सरे रु. है। उक्त शपथ—पत्र मेरी निजी जानकारी से लिखा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़—मरोड़ कर पेश करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि भारतीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। मैं, यह अच्छी तरह समझता हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य करने पर मेरे विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में फौजदारी भुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।

हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता

प्रारूप भाग-IV(ग्रामीणीकरण)

उपरोक्त (शपथकर्ता का नाम) पिता/पति का नाम

आयु..... निवासी..... ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकर्थन किया है, जिसे ग्रामीणीकृत की पहचान

हस्ताक्षर मय सील

ग्रामीणीकरण अधिकारी

(कार्यपालक भजिस्ट्रेट/सहसीलदार/नायबकहसीलदार/मगर निकायों के अधिकारी/नोटरी पब्लिक/ऑथ कमिशनर/शाजपत्रित अधिकारी/अन्य प्रांधिकृत अधिकारी) का नाम व पद मय मुहर